

सं. जेड.- 28015/31/2019.ई-11

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स्थापना-11

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 04 दिसंबर, 2019


परिपत्र

विषय: संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमों व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैं:

1.	संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	5
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख को अधिकतम 65 वर्ष
3.	कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	संविदा की अवधि	एक वर्ष
5.	पात्रता	अनुबंध- 1 के अनुसार
6.	कार्यभार	

2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को सँभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के दो सप्ताह के अंदर संबंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण "अवर सचिव (प्रशासन), कमरा नंबर-330 'सी-विंग', निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए "सी.आर. अनुभाग, गेट नंबर- 6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।


(अमित कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्स: 23061323

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
2. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड ई-ऑफिस
3. नोटिस बोर्ड

अनुलग्नक-1

कार्यभार	(अवधि - 1 वर्ष)	पात्रता
1	<p>निम्नलिखित मामलों में जे.सी.(यू.आई.पी.) के कार्यालय की सहायता हेतु:</p> <p>i. टीकाकरण कार्यक्रम / योजनाओं के सुचारु संचालन में अधिकारी की सहायता करना;</p> <p>ii. नियमित पत्राचार और अनुस्मारक के प्रारूपण में सहायता करना;</p> <p>iii. मिलने के कार्यक्रम का विवरण रखना</p> <p>iv. टूर पैकेज की व्यवस्था करना और टूर नोट्स तैयार करना;</p> <p>v. अधिकारी द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारी।</p>	<p>(1 पद) सेवानिवृत्त पी.ऐ. / पी.ऐस. या समकक्ष</p>
2	<p>निम्नलिखित मामलों में अस्पताल- I अनुभाग की सहायता हेतु:</p> <p>i. सफदरजंग अस्पताल के पुनर्विकास संबंधी मामलों में सहायता करना।</p> <p>ii. VMMC में लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स के निर्माण संबंधी कार्यों में सहायता करना।</p> <p>iii. कोर्ट केस, एनएचआरसी मामले पी.जी. मामले, आरटीआई और संसदीय मामले।</p> <p>iv. भर्ती नियम से संबंधित मामले।</p> <p>v. अन्य प्रशासनिक और वित्तीय मामले।</p>	<p>(1 पद) सेवानिवृत्त एस.ओ. / यू.एस. या समकक्ष</p>
3	<p>निम्नलिखित मामलों में IH/IC अनुभाग की सहायता हेतु:</p> <p>i. डब्ल्यू.एच.ओ., ब्रिक्स, जे.आई.सीए., अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित मामलों में सहायता करना।</p> <p>ii. MoHFW के अधिकारियों / विशेषज्ञों / डॉक्टरों के विदेशी प्रतिनियुक्ति मामलों से संबंधित मामले।</p> <p>iii. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन द्वारा आयोजित विभिन्न विदेशी बैठकों का समन्वय।</p> <p>iv. देश के स्तर पर द्विपक्षीय समझौता जापन / समझौता जापन, आदि से संबंधित मामले।</p> <p>v. अन्य प्रशासनिक और विविध मामले।</p>	<p>(2 पद) सेवानिवृत्त ऐ.एस.ओ. / एस.ओ. या समकक्ष</p>
4	<p>निम्नलिखित मामलों में हिन्दी अनुभाग की सहायता हेतु:</p> <p>i. मंत्रियों के भाषण का अनुवाद कार्य, वार्षिक / त्रैमासिक रिपोर्ट, कैबिनेट नोट, संसदीय प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन।</p> <p>ii. 'हिंदी पखवाड़ा' के संगठन से संबंधित मामले '</p> <p>iii. हिंदी रिपोर्ट का ऑडिट।</p> <p>iv. आवेदक हिंदी टाइपिंग में प्रवीण होना चाहिए।</p>	<p>(1 पद) सेवानिवृत्त ऐ.एस.ओ. / एस.ओ. या समकक्ष</p>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-

1. परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2. सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न 1.00 बजे से 1.30 बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक होगा।
3. परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान 8 दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4. विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदाता को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5. संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6. परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीए/डीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। टीए/डीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।
8. वह अपने दायित्वों को पूरे कौशल, परिश्रम, क्षमता व किफायत के साथ करेंगे।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है, यदि कोई हो।
10. मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. सेवाकाल के दौरान, वो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12. वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13. सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जे.सी.(यू.आई.पी.) कार्यालय / अस्पताल-I / IC/IH
अनुभाग / हिन्दी अनुभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

आवेदित पद:

नाम:

पिता का नाम:

जन्म तिथि:

आधार सं:

सेवानिवृत्त की तारीख:

अंतिम कार्यालय का नाम:

अंतिम पदनाम:

अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन)

पे लेवल / ग्रेड पे

पेंशन (मूल)

दूरभाष सं:

मोबाइल नंबर:

ई-मेल आईडी:

मेलिंग पता:

स्थायी पता:

शैक्षिक अर्हता:

कार्य अनुभव (अलग से पेपर लगाएं, यदि आवश्यकता हो)

संगठन/संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी आवेदन की तारीख तक सच और सही है।
मैं समझता हूं कि जानकारी छिपाने / गलत सूचना देने का परिणाम नियुक्ति से इंकार / रोजगार की समाप्त या नागरिक दंड हो सकता है।

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षर)